सं0सं0–18 / विविध–62 / 2013

स्वास्थ्य विभाग

बिहार, पटना।

संकल्प

विषयः– **तेजाब हमलों के पीड़ितों को त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने, मुआवजा एवं चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के अनुश्रवण हेतु मुख्यालय स्तर स्वास्थ्य विभाग पर नोडल पदाधिकारी नामित करने के संबंध में।**

सर्वोच्च न्यायालय के रिट याचिका (सिविल) संख्या–867 / 2013, परिवर्त्तन केन्द्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य तथा तेजाब हमले के पीड़ितो को निःशुल्क चिकित्सा, त्वरित मुआवजा मुगतान एवं काण्डों के अनुसंधान के अनुश्रवण हेतु अपनाई जाने वाली मानक कार्यवाही पद्धति पर विचार करने हेतु दिनांक–21.08.2015 को प्रधान सचिव, गृह विभाग की अध्यक्षता में आहूत बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में राज्य अन्तर्गत तेजाब हमलों के पीड़ितों को त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने, मुआवजा एवं चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के अनुश्रवण के लिए मुख्यालय (स्वास्थ्य विभाग) स्तर पर **डॉ0 अंजनी कुमार, अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को** नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है।

2. नोडल पदाधिकारी द्वारा राज्यन्तर्गत तेजाब हमले के पीड़ितों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के साथ–साथ मुआवजा प्रदान करने एवं चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के प्रत्येक मामले का अनुश्रण किया जाएगा।

3. पीड़ित की चिकित्सा में लापरवाही अथवा आना–कानी की शिकायत पर नोडल पदाधिकारी जिम्मेवार दोषी चिकित्सक / कर्मी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के लिए सक्षम प्राधिकार को प्रतिवेदित करेंगे तथा उसके अंतिम फलाफल तक अनुश्रवण करेंगे। नोडल पदाधिकारी का दायित्व रहेगा कि स्वास्थ्य विभाग के संकल्प 839(14) दिनांक–13.07.2015 का अक्षरशः अनुपालन हो।

23/9

(शंकर प्रसाद)
विशेष कार्य पदाधिकारी
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–1500(18) स्वा0, पटना, दिनांक–23/09 / 2015

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, गृह विभाग / पुलिस महानिरीक्षक (कमजोर वर्ग), अपराध अनुसंधान विभाग / पुलिस महानिदेशक, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–सभी जिला पदाधिकारी / सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–अधीक्षक / प्राचार्य, सभी चिकित्सा महाविद्यालय, एवं अस्पताल बिहार को सूचनार्थ।

प्रतिलिपिः–सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, बिहार को सूचनार्थ।

प्रतिलिपिः–सभी सिविल सर्जन, बिहार।

प्रतिलिपिः–सभी उपाधीक्षक, सदर अस्पताल / अनुमंडलीय अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ।

प्रतिलिपिः–डा0 अंजनी कुमार, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

23/9

विशेष कार्य पदाधिकारी
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।